



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी वरीशा पत्नी श्री वहाबु उर्फ बाबूद्दीन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 09-02-2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष महिला बन्दी वरीशा पत्नी श्री वहाबु उर्फ बाबूद्दीन, जो मरकरी चौक प्रेम नगर, थाना-लोनी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2020 को 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-51/2021, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के दण्डादेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 04 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

अपर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा अपर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद की आख्या से सहमत होते हुए महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानसार दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की आयु 64 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 04 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी वरीशा (बन्दी संख्या-1382/2023) पत्नी श्री वहाबु उर्फ बाबूद्दीन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1203/2026/429(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
- 2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।